बहुजनों के वॉल्टेयर...

महामना रामस्वरूप वर्मा "अर्जक"

22.08.1923 - 19.08.1998

(कृपया इसका प्रिंट निकलवा कर पढ़ें और पढ़वाएं)

आभार : दयाराम एवं हरवंश सिंह पटेल
सुगत सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था,
लखनऊ (उ.प्र.), दिनांक : 22.08.2020
अभिनेत्री : अनामिका सिंह
लेखक : ए. के. सिंह
मोबाइल : 7355175480

बंधुओं : जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक....

रामस्वरूप वर्मा ने एक सिद्धांत सूत्र दिया : "जानो, छानो, तब मानो" : और हमने इस सिद्धांत को बिल्कुल भुला दिया, तभी हम इस देश के मूलनिवासी होते हुए भी, विभिन्न जातियों में बंटते चले गए। जैसे : मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, जाट, गुर्जर, यादव, गडरिया, धनगर, बघेल, कोली, कोरी, भंडारी, निषाद, बिंद, राजभर, नुनिहां, तेली, लोधी, कुर्मी.... कुर्मियों में भी सचान कटिहार, निरंजन, पटेल, पाटिल... ऐसे ही अछूतों में ढेरों जातियां हैं। यह सारी जातियां सैंधव और बौद्ध काल से विकास करने के बाद खेतिहर और मेहनतकश जातियां हैं। यह किसी के रहमों करम पर जिंदा नहीं है।यह कमा कर खाते हैं, मेहनत कर खाते हैं, अर्जन कर खाते हैं, इसीलिए "अर्जक" कहलाते हैं।

"किसी राजा ने राजतंत्र के खिलाफ कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी और न किसी जमीदार ने जमीदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तब कोई द्विज कैसे ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। कोई बिल्ली से चूहे की खैर की कामना करेगा, तो अपनी हंसी ही उड़वाएगा। ब्राह्मणवाद का नाश : अछूतों, पिछड़ों द्वारा ब्राह्मणवाद का परित्याग करके ही होगा, यही पूर्ण सत्य है।"

विचार और व्यवहार में समानता रखने वाला व्यक्ति ही इमानदार होता है। फ्रांस की चर्च का फादर देखने में मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत इंसान था। जिसने किसी पुरुष की हवस की शिकार महिला के नवजात शिशु को, कचरे के डब्बे से चर्च ले जाकर पाल पोस कर बड़ा किया। उच्च शिक्षा प्रदान की। वह बालक बड़ा होकर वॉल्टेयर कहलाया। वॉल्टेयर अपने बचपन से ही, धर्म के नाम पर चर्च में महिलाओं के साथ फादर द्वारा की किए जा रहे अनाचार और दुराचार को देखता रहा। फ्रांस की धरती पर जन्मा वॉल्टेयर धर्म पुरोहित को जेल की सजा सुनिश्चित करवाया। और कानून के सहारे उसने फादर के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डालकर जेल में डाल दिया। क्योंकि वॉल्टेयर ईमानदार था।

ऐसे ही भारत की सरजमीं पर, एक साधारण किसान परिवार में जन्मा बालक रामस्वरूप वर्मा के नाम से विख्यात हुआ। जिसने गैर बराबरी वाली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। बड़े होकर इस व्यवस्था की जड़, भगवान और पुनर्जन्म पर प्रहार किया।

आपका जन्म 22 अगस्त 1923 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद गौरीकरण गांव में हुआ था। पिता वंश गोपाल तथा माता सखिया के नाम से चर्चित थे। बचपन में ही माता का निधन हो गया। रामस्वरूप वर्मा अपने चार भाइयों में सबसे छोटे थे।

प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट की शिक्षा पुखरायां, और कालपी में हुई। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास किया। उन्होंने हिंदी में प्रथम श्रेणी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा पास की।तत्पश्चात अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। एलएलबी आगरा विश्वविद्यालय में से अच्छे नंबरों से पास की। शिक्षा के दौरान ही उनकी शादी सियादुलारी से हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद आजीवन अविवाहित ही रहे।

शिक्षा पूरी करने के पश्चात रामस्वरूप वर्मा के पास तीन विकल्प थे : पहला, उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनना। दूसरा, वकालत करना। तीसरा, बहुजन हित में राजनीति करना। आपने शैक्षिक साल में ही आईएएस की लिखित परीक्षा पास कर ली थी, किंतु साक्षात्कार में भाग नहीं लिया।

अन्य पिछड़ा वर्ग, कुर्मी, कटियार बहुल क्षेत्र में, जब द्विज जातियों की दबंगई, जातिगत भेदभाव को अपनी आंखों से देखा। बहुजन होते हुए भी कुर्मी जाति के लोग भी द्विज

जातियों के सामने सिर उठाकर नहीं चल सकते थे। कुर्मी जाति के पढ़े-लिखे लोग उस समय खोजने पर भी नहीं मिलते थे। उन्होंने उन कारणों को खोजना शुरू कर दिया, कि यह लोग शिक्षा और संपत्ति से वंचित क्यों हैं।

उन्होंने सोचा कि जब भारत अंग्रेजों से मुक्त होगा, तो फिर सत्ता किसके हाथ में होगी। तब उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक दोनों आंदोलन चलाना शुरु किया। सन् 1949 में आपकी मुलाकात महान् समाजवादी चिंतक डॉ राम मनोहर लोहिया से हुई। रामस्वरूप वर्मा किसी के भक्त नहीं, बल्कि किसी बात को मानने से पहले उसको समझते थे। और आपने डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक दल संस्था की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1957 में पहली बार ही कानपुर देहात के राजपुर क्षेत्र से विधानसभा के चुनाव में विजई हुए।

1857 की विधानसभा में पहली बार विधायक भूप किशोर सिंह ने रामायण के पन्ने फाड़े। डॉ राम मनोहर लोहिया का दिल धड़कने लगा, कि रामस्वरूप वर्मा कहीं भूप किशोर सिंह के साथ होकर ब्राह्मणी व्यवस्था पर प्रहार न शुरू कर दें और उनकी शंका सही साबित हुई। क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन पर पैनी नजर रखे हुए थे। 1967 की सरकार में लोहिया की पार्टी संसोपा के विधायक होने के नाते, उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री भी रहे। किंतु उन्होंने सैद्धांतिक रूप से लोहिया को नकार कर अपना आदर्श डॉक्टर अंबेडकर को चुना और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 7 बार विधायक रहे।

1 जून 1968 को लुटेरों को शिकस्त देने के लिए, कमेरों का सामाजिक संगठन "अर्जक संघ" की स्थापना की। जिससे द्विजातियों की सामाजिक सत्ता में भूचाल आना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम जिलों में नाटक एकलव्य, शंबूक वध, नागयज्ञ का मंचन शुरू हो गया। इन सबके चलते रामस्वरूप वर्मा पर, 1969 से 1974 तक, यानी 5 साल तक, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर भी उन्होंने अपने स्थान पर रणजीत सिंह को चुनाव जिता लिया।

रामस्वरूप वर्मा तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने का आवाहन करते हैं। "अत दीपो भव"। अपना दीपक स्वयं बनो। पहली बार स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश की संविद सरकार में 1967 में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने सर्वप्रथम बहुजन समाज में मान सम्मान और स्वाभिमान की

ज्योति जगाने के लिए बाबासाहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित साहित्य, सभी सरकारी गैर सरकारी पुस्तकालयों में रखवाने में सफलता प्राप्त की।

लेकिन तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री ने बाबासाहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित दो पुस्तकें "जातिभेद का उच्छेद और धर्म परिवर्तन करें" दोनों को अध्यादेश जारी कर, 10 मार्च 1970 को जप्त कर लिया। अतः दोनों पुस्तकें उत्तर प्रदेश की परगणित जाति के छात्रावासों एवं पुस्तकालयों में नहीं रह गईं। इस घटना पर डॉक्टर अंबेडकर के तथाकथित भक्त, जो सत्ता और विपक्ष के साथ ही सुरक्षित सीटों से जीत कर आए थे, बाबासाहेब की जयंती पर बहुत बाहें फड़फढ़ाते थे। इन दोनों पुस्तकों की जब्ती पर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके।

बहुजनों के वॉल्टेयर रामस्वरूप वर्मा और अर्जक संघ के नेता पेरियार ललई सिंह यादव के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दोनों पुस्तकों की बहाली के लिए याचिका दायर की। उच्च न्यायालय में याचिका स्वीकार कर ली गई। 14 मई 1971 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पेरियार ललई सिंह यादव की याचिका पर सुनवाई करके दोनों पुस्तकों की बहाली का निर्णय निर्णय दिया। माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीश ने कहा, "कि उक्त पुस्तकें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषणों का संग्रह है। जिसमें उन्होंने परगणित जाति को, जातिय बर्बरता से मुक्ति पाने के लिए, हिंदू धर्म को छोड़ने और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए कहा है।"

सत्ता की ताकत प्राप्त होते ही, अर्जक नेता "पेरियार ललई" ने पेरियार रामास्वामी नायकर द्वारा लिखित पुस्तक 'रामायण ए ट्रू रीडिंग' को पढ़ा। 1 जुलाई 1968 को उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद कर, उसे हिंदी में प्रकाशित करने की अनुमति प्राप्त की। और पुस्तक को "सच्ची रामायण" शीर्षक से प्रकाशित कर दिया। सच्ची रामायण के प्रकाशन पर उतरी भारत में जैसे भूचाल आ गया। प्रकाशन के ठीक 1 वर्ष बाद 1969 में सच्ची रामायण को उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्ती का आदेश जारी कर दिया। और सच्ची रामायण दिनांक 20 दिसंबर 1969 को जप्त कर ली गई। अपीलकर्ता ललई सिंह यादव ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायरकर जीत प्राप्त की। साथ ही ₹300 खर्चा भी प्राप्त किया। सच्ची रामायण की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने 16 सितंबर 1976 को निर्णय पेरियार ललईं सिंह यादव के पक्ष में दिया।

रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया, कि 14 से 30 अप्रैल 1978 तक बाबासाहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन चेतना दिवस के रूप में मनाया जाय। और साथ ही अर्जक संघ के कार्यकर्ताओं ने रामायण और मनुस्मृति को भी जलाया। और घोषणा की, शोषितों का राज, शोषितों के द्वारा एवं शोषितों के लिए हो। बहुजन समाज के चुने हुए प्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में गूंगे बने रहते हैं। बाबासाहब डॉ अंबेडकर ने अपने समय में उनके चरित्र को बड़े नजदीक से देखा और कहा, "अछूतों के प्रतिनिधि अछूतों के हितों के रखवाले समझे जाते है। लेकिन कांग्रेस में शामिल हो जाने के कारण, उनकी स्थिति मुंह पर पट्टी बंधी कुत्तों जैसी हो गई है। काटना तो दूर की बात है, यह भौंक भी नहीं सकते। इन सदस्यों ने बोलने और काम करने की आजादी गवा दी है।"

शोषित समाज दल के रामस्वरूप वर्मा ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा, सार्वजनिक भूमि संरक्षण विधेयक 1983 पर विचार किया जाए। यह देखा जा रहा है कि, प्रदेश में जितनी सड़कें हैं, सार्वजनिक विभाग की ओर से जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, एवं स्थानीय निकाय की जमीन है, वहां पूजा स्थल बना दिए जाते हैं। और एक छोटी चीज वहां रख देते हैं, उसके बाद वहां चढ़ावा आने लगता है। क्योंकि वह सड़क के किनारे होते हैं इससे परेशानियां होती हैं इससे यातायात अवरूद्ध हो रहा है। लेकिन शासन चुप है तो माना जाता है कि शासन की इच्छा है। धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि शासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए ही हमने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया है।

आज की स्थिति में जितने सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर बन गए, पूजा स्थल बन गए, उनका प्रबंध सरकार करेगी, तो स्वार्थी व्यक्तियों का धंधा समाप्त हो जाएगा। और अगर पूजा की दृश्टि से बने हैं, तो वह चलेंगे, कायम रहेंगे।

जिस प्रकार बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जूता गांठना मोची का धर्म नहीं धंधा है। दूध बेचना अहीर का धर्म नहीं धंधा है। उसी प्रकार मंदिर में पुजारी का काम करना, ब्राह्मण का धर्म नहीं, बल्कि उसका धंधा है। इससे उसकी रोजी-रोटी चलती है। ऐसे मुद्दों पर बहस छोड़ दी, जिसका जवाब वर्मा जी ने बड़ी शालीनता से दिया। जिसका कुछ अंश, चौधरी महाराज सिंह भारती द्वारा लिखित पुस्तक "सिद्धांतहीन राजनीति के दुष्परिणाम" के पृष्ठ संख्या 34-35 पर देखा जा सकता है।

70 के दशक की एक और घटना : एक सज्जन ने अभिवादन के साथ रामस्वरूप वर्मा के पैर छू लिए। वर्मा जी उनसे सवाल पूछा, कि आप यह बताओ कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है, तो वो अभिवादन में क्या कहता है। उस व्यक्ति ने कहा कि वालेकुमसलाम कहता है, दूसरा क्या जवाब देता है। उसने जवाब में बताया, कि वह कहता है सलामवालेकुम यानी मैं तुम्हारी सलामती की कामना करता हूं। और जब एक इसाई अपने दूसरे इसाई से मिलता है तो क्या कहता है। समय को ध्यान में रखते हुए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाईट, गुड बाय कहता है। और दूसरा व्यक्ति भी उन्हीं शब्दों में जवाब देता है । किंतु तुमने मेरे पैर छुए, तो मुझे भी तुम्हारे पैर छूने चाहिए थे। किंतु मैंने तुम्हारे पैर नहीं छुए। इसका मतलब यह गैर बराबरी हुई। उस व्यक्ति ने वर्मा जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसा आश्वासन भी दिया।

वर्मा जी ने कहा बुद्धिज्म विज्ञान है। जिसे आम आदमी नहीं समझ सकता। मूर्ख बुद्धिजीवी को नहीं समझता, क्योंकि विज्ञान को समझने के लिए विवेक बुद्धि की जरूरत पड़ती है।

चौधरी महाराज सिंह भारती ने एक बार अर्जक संघ की मीटिंग में वर्मा जी के सरकारी आवास पर काशी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे 3 ब्राह्मणों का वाकिया बताया। घटना 16 अगस्त 1995 की। क्योंकि बनारस के मणिकर्णिका घाट पर बहुजन समाज के लोगों ने चिता जलाकर उस पर रामायण और मनुस्मृति जलाया था। वर्मा जी अपने आवास परिसर में फूलों के गमलों में पानी दे रहे थे। वे तीनों वर्मा जी की शक्ल सूरत से परिचित नहीं थे। उन्होंने सोचा कि चपरासी होगा, और वर्मा जी से सवाल किया कि हम वर्मा जी से मिलने आए हैं, काशी के ब्राह्मण हैं, उन्हें बुलाकर लाओ। हमें उनसे शास्त्रार्थ करना है। वर्मा जी ने उन्हें कुर्सियों पर बैठने का इशारा कर, कमरे के अंदर गए और कपड़े पहनकर बाहर आए। पण्डों ने प्रश्न किया, आप ही वर्मा जी हैं। उन्हें इस बात की चिंता थी, कि वर्मा जी के पास नौकर चाकर नहीं! जो स्वयं फूलों में पानी दे रहे हैं। हम आप से शास्त्रार्थ करने आए हैं। वर्मा जी ने पूछा कैसा शास्त्रार्थ? वेद शास्त्रों के बारे में। वर्मा जी ने कहा, वेद तो चारवाहों के के गाने हैं। सबसे पहले आप लोग शास्त्र का अर्थ बतायें। किंतु किसी ने शास्त्र शब्द का अर्थ नहीं बता पाया। वर्मा जी ने कहा शास्त्र शब्द का अर्थ है, जिससे शासन तंत्र चलता है। और मेरा शास्त्र तो भारतीय संविधान है। जिसे बाबासाहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। इसमें से आप कहां से प्रश्न पूछा चाहते हैं। ब्राह्मणों की बोलती बंद हो गई, उसके बाद ब्राह्मणों

ने कहा चलो इसे छोड़ो। आप यह बताओ कि आप पैर छूने का विरोध क्यों करते हैं। आपने हमारे मान सम्मान पर हमला बोल दिया है। वर्मा जी ने कहा, आप लोग खुश रहो का खजाना लुटाया करते हैं। जबकि धन धरती आपके पास है, तो फिर हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं।

मेरे आदेशानुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में बाबासाहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिवस 14 से 30 अप्रैल 1978 तक, संघ के कार्यकर्ताओं ने रामायण और मनुस्मृति का दहन किया। लोग जगह-जगह पकड़े गए, उन्हें जेल भी हुई। आज वे जमानत पर छूटे हुए हैं।

"मुकदमे में केवल तारीखें पड़ रही हैं। आप जानते हो न्यायपालिका में भी द्विजातियों की भरमार है। वह मेरे जीते जी फैसला देने वाले नहीं हैं। जबकि मैंने न्यायाधीश के समक्ष न्यायालय में बयान दिया है, कि रामायण और मनुस्मृति मेरे आदेशों पर जलाई गई हैं। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। माननीय न्यायालय शीघ्र फैसला दें। किंतु सरकार ने गवाह बदल दिए। उन्होंने हलफनामे दिए, कि रामायण और मनुस्मृति जलाई ही नहीं गई।

रामस्वरूप वर्मा जब दोबारा विधानसभा सदस्य चुने गए, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक बिल रखते हुए कहा :

अध्यक्ष महोदय, यह सदन आपसे अनुरोध करता है कि, "राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए सुरक्षित स्थानों को भरने के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी करें। ऐसा प्रबंध हर स्तर पर सरकार अभिलंब करें।"

आपको अछूतों का दर्द देखा नहीं जाता। किंतु उनका हक अधिकार उन्हें न देकर खुद डकारते जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कि जिस समय हमारे पिछड़ी जातियों के लोग चेतेंगे तो आपको यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। अंत में विधायक के समर्थन में 26 मत, और विरोध में 129 मत पड़े। यह विधेयक सत्ता के पालतू तीतरों के कारण गिर गया। सत्ता और विपक्ष के विधायकों द्वारा, उत्तर प्रदेश के जनता की गाढ़ी कमाई की खुली लूट का खुलासा सांसद महाराज सिंह भारती ने अपनी पुस्तक "सिद्धांतहीन राजनीति के दुष्परिणाम" में उल्लेख सहित किया है। 17 सितंबर 1984 को भत्तों से संबंधित विधेयक जो भ्रष्टाचार से संबंधित था, रेडियो और दूरदर्शन के लिए समाचार तो बना। किंतु समाचार

पत्रों में कुछ भी नहीं छपा। तत्पश्चात वर्मा जी ने सभी पेपरों के संपादकों को पत्र लिखकर भेजा, फिर भी केवल एक समाचार पत्र ने छापा। बाकी समाचार पत्रों के मालिक तो जैसे विधायकों के गुलाम थे।

औषधि घोटाला में शामिल विधायकों के काले कारनामों को उजागर करते हुए चौ. महाराज सिंह भारती लिखते हैं। एक बार सरकार से पूछा कि, दारुल सफा डिस्पेंसरी से 5000 से अधिक मूल्य की दवाइयां लेने वाले कौन-कौन से विधायक हैं। इस पर पर्दा डालने के लिए कह दिया गया, कि सूचना एकत्रित की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से पता चला, कि डिस्पेंसरी से 1 वर्ष में ₹70000 की टानिक तो केवल एक विधायक जी ले गए। और मजाक करते हुए एक डॉक्टर ने बताया, कि एक विधायक तो इतना च्यवनप्राश ले गए, कि उन्हें रोजाना किलो के हिसाब से खाना पड़ेगा।

रामस्वरूप वर्मा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाते हैं। मानव जीवन चार भागों में बटा हुआ है। संस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सांस्कृतिक क्षेत्र को धर्म और साहित्य में पुनः विभाजित किया जा सकता है। पूर्व निर्धारित मूल्यों का अब फिर से निर्धारण करना होगा। क्योंकि पूर्व निर्धारित मूल्य मानव जीवन के लिए उसी प्रकार दुखदाई बन गए हैं, जिसप्रकार शैशवकाल का जूता किशोरावस्था में पहनने पर दुखदाई होता है। और नए नाप का जूता तैयार करवाना आवश्यक हो जाता है। इसलिए अब सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति या सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए।

वास्तव में ब्राह्मणवाद एक पेड़ पेड़ की तरह है। जिसकी जड़ पुनर्जन्म और तना भगवान है। वर्ण व्यवस्था उसकी टहनियां और जातियां इसके पत्ते हैं। ऊंच-नीच का भेदभाव इसके फूल हैं, और शोषण इसका फल है। इस ब्राहमणवादी वृक्ष को पनपने देना, कभी मानव हित में नहीं रहा और न रहेगा। अतः प्रत्येक सामाजसेवी व्यक्ति का यह कर्तव्य है, कि वह इस पेड़ की जड़ पुनर्जन्म को समाप्त कर दे। वृक्ष की जड़ काटने पर ही वृक्ष का विनाश संभव होगा।

स्वामी दयानंद हों या महात्मा गांधी, सभी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। गांधी ने अछूतों की बस्ती में डेरा जमाया, तो दयानंद सरस्वती ने सछूत बस्ती अर्थात अन्य पिछड़ों के घरों में घुसपैठ की। ऐसे समाज सुधारकों का पर्दाफाश बाबासाहब डॉ अंबेडकर से भेंट में हो गया।

बाबासाहब ने गांधी जी से पूछा, "आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं"। गांधी जी ने कहा हां। "तो भगवान पर विश्वास करते होंगे" गांधी जी ने हां में उत्तर दिया। तब बाबासाहब ने तीसरा प्रश्न किया, "तो फिर आप वर्ण व्यवस्था को भी मानते होंगे।" गांधीजी ने कहा हां। बाबासाहब ने इस पर कहा कि, "तब फिर आप अछूतोद्धार का नाटक क्यों कर रहे हैं।" गांधी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था।

1936 में लाहौर में आर्यसमाजियों ने एक जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना की। और डॉक्टर अंबेडकर को जनसभा को संबोधित करने और अध्यक्षता करने के लिए आग्रह किया। कुछ आर्य समाजी नेताओं ने मंडल के समक्ष प्रस्ताव रखा, कि डॉक्टर अंबेडकर का लिखित भाषण पहले मंगवा लिया जाए, तत्पश्चात उनको मंच पर बोलने का अवसर दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योंही अपना लिखित भाषण उन्हें हस्तांतरित किया, जाति पाति तोड़क मंडल में जैसे भूचाल आ गया। कईयों ने तो इस्तीफा तक दे दिया। जाति पाति तोड़क मंडल के मंत्री, "संतराम प्रजापति बीए(इन्होंने बहुजन अंतर्जातीय विवाह किया था), जो अन्य पिछड़े वर्ग से संबंध रखते थे", के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर को संदेश भेजा गया, कि वह अपने भाषण के कुछ अंशों को निकाल दें। डॉक्टर अंबेडकर ने संतराम बीए से बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि "मैं अपने भाषणों से मात्रा और कामा भी बदलने को तैयार नहीं हूं।" जिसकी संतराम प्रजापति बीए ने भूरी भूरी प्रशंसा की।

वर्मा जी पुनर्जन्म की धारणा पर चोट करते हुए तर्क देते थे, सृष्टि की शुरुआत जब कभी हुई होगी, जीव जंतु पैदा हुए होंगे, मानव का जन्म भी हुआ होगा, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सृष्टि के प्रारंभ में उससे पूर्व किसी का जन्म हुआ ही नहीं, इसलिए उसके शुभ और अशुभ कर्मों के निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर मानव का पुनर्जन्म कैसा? दूसरा, वर्तमान में डायनासोर नाम का जीव सच में नहीं है। डायनासोर की प्रजाति लुप्त हो गई। भूतकाल में जब डायनासोर नाम का जीव था, तो उसके कर्म भी थे। लेकिन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद भी उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। आज भी डायनासोर की प्रजाति लुप्त है। लेकिन ब्राह्मण पुनर्जन्म की धारणा को स्थापित करने के लिए, कहानियां गढ़ता रहता है।

भेदभाव वाली सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की पहचान जाति से होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण धर्म में द्विजाती हैं। धर्म में इनका जो वर्ण है, वही इनकी जाती है। लेकिन

शूद्र वर्ण में ऐसा नहीं है। शुद्र वर्ण में शूद्र होते हुए भी, शूद्र जाति नहीं है। शूद्र जातियों का वर्ण है। जिसमें आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता है। जबकि द्विजातियों में रोटी बेटी का संबंध होता है। शूद्र वर्ण विहीन जाति है। जब कोई द्विजाती व्यक्ति से पूछता है, कि आप कौन लोग हो, तो बड़े शान के साथ बताते हैं। कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं। और जब किसी शूद्र व्यक्ति से पूछा जाता है, कि आप कौन लोग हो, तो वह अपना वर्ण नहीं बताता। बल्कि अपनी जाति बताता है। अपनी जातिय पहचान बताने में उसका 56 इंच का सीना सिकुड़ कर 36 का हो जाता है। द्विजातियों में खान पान, उठान बैठन, बोलचाल में बराबरी का बर्ताव होता है। किंतु शुद्र वर्ण की जातियों में खानपान, बोलचाल में गैर बराबरी का बर्ताव होता है।

भंगी का काम कठिन है, कोई भी उसको करने को तैयार नहीं। लेकिन भंगी उसको कम से कम तनख्वाह पर करने को तैयार है। क्योंकि ब्राह्मण व्यवस्था के अनुसार उसके भाग्य में यही काम लिखा है। ऐसा उसके दिमाग में दिमागी गुलामी के कारण भर गया है। नहीं तो देश के भंगी यदि यह तय कर लें, कि चाहे वह भूखों मर जाएं, लेकिन इस काम को नहीं करेंगे। तब पता चलेगा कोई काम कितना कठिन है। फिर साथ ही साथ इस पेशे की तनख्वाह ऐसी करनी पड़ेगी, जिससे द्विज लोग भी आकृष्ट हो सकें।

सामाजिक व्यवस्था, भय और धर्म के बदौलत टिकी है। जिसने बहुजनों को शिक्षा और संपत्ति से वंचित करने में सफलता हासिल की।

संस्कृति के मुख्य चार अंग होते हैं : आचार, विचार, संस्कार और त्योहार।

जिन मंत्रों के पढ़े जाने के बावजूद विधवाओं की अधिक संख्या ब्राह्मणों में है। उन मंत्रों की सच्चाई पर कोई गुलाम ही विश्वास कर सकता है। चाहे पंडित स्वयं मुहूर्त, सायत और कुंडली मिलाकर, मंत्रों का पाठ करके भी अपनी बेटी का वैधव्य न बचा सके। लेकिन मानसिक गुलाम बहुजन, बिना पंडित जी को दान दिए, सायत, मुहूर्त विचरवाय, मंत्रों का पाठ करवाये बिना, विवाह कर ही नहीं सकते। क्योंकि दिमागी गुलामी, मानसिक गुलामी से अधिक खतरनाक होती है। जैसे बैल अकारण अपने मालिक के डंडे खाने और छूट जाने के बाद भी लौटकर फिर खूटे पर ही आ जाता है। वैसे ही बहुजन भी ब्राह्मणों द्वारा खुला शोषण किए जाने के बावजूद, उसे छोड़ नहीं पाते। एक ही समय में जन्मे पंडित का लड़का विद्यासागर कैसे ? और बहुजनों का लड़का बुद्धू कैसे बन गया ? यदि कोई आप से घृणा

करता है, तो आप उसके प्रति दोगुनी घृणा करें, तभी घृणा का नाश हो सकता है। घृणा से घृणा का अंत होता है। क्योंकि घृणा एक विष है, और विष का इलाज रस नहीं विष ही होता है।

सम्राट अशोक के प्रपौत्र बृहद्रथ की हत्या, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए जाने के बाद, जो रक्तपात हुआ। और रक्तपात से जो भय का वातावरण पैदा हुआ। उसी में ब्राह्मणों ने बहुजनों को नियंत्रण करने के लिए, गीता रामायण महाभारत स्मृति ग्रंथ पुराण आदि शास्त्रों की रचनाएं की। और उन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा प्रदान की। इन्हीं धर्मशास्त्रों द्वारा बहुजनों के शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र धारण करने पर पाबंदी लगाकर, उन्हें मजबूर बना दिया।

एक दुकानदार के पास जब कोई ग्राहक दुकान पर पहुंचता है। तो वह दुकानदार उसको प्यार से, चाय, काफी, ठंडा पूछेगा। किंतु ब्राह्मण अपने ग्राहक से चाय पानी पूछना तो दूर, घृणा भाव के कारण बैठने के लिए भी नहीं कहेगा। बहुजन समाज के लोग जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों का छोड़ना नहीं चाहते, जैसे बंदरिया अपने बच्चे को मरने के बाद भी अपनी छाती से चिपकाए रहती है। वही हाल इन नादान बहुजनों का है।

वर्मा जी : एक बार मैं एक बारात में गया हुआ था। उस समय महिलाएं भोजन के अवसर पर गाना गा रही थीं। "सोने की थाली में जेवना परोसा, रुचि रुचि भोजन खाएं"। खाने के बाद मैं उस वृद्धा से मिला, जो यह गाना गा रही थी। मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, आप सोने के थाल में व्यंजन परोसे क्यों गा रही थीं। क्योंकि सोने की थाल तो भारत में सामान्य जनों को प्राप्त होना असंभव है। जवाब मिला, ऐसा पहले से गाया जा रहा है।

अवैज्ञानिकता समाप्त करने के लिए अर्जक विवाह पद्धति को जन्म दिया गया। अर्थात कमेरों की विवाह पद्धति। इस विवाह पद्धति में कोई पुरोहित नहीं होता, बल्कि बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति पुरोहित की भूमिका निभा सकता है। आम जन की भाषा में व्यवहार प्रतिज्ञापत्र होता है, जिसे वर वधु विवाह कराने वाले व्यक्ति के साथ दोहराते हैं। प्रतिज्ञा पढ़ने के बाद वर वधु एक दूसरे के गले में हार डालते हैं। कोई फेरा की परंपरा नहीं है। जयमाला डालते ही बराती और घराती दोनों तरफ से फूलों की वर्षा करते हैं। अग्निसाक्षी नहीं होती, बल्कि दो-दो गवाह बारात और घरात पक्ष की ओर से साक्षी होते हैं। वर वधु और उनके माता-पिता प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। वर-वधू की मांग में सिंदूर नहीं डालता।

वर-वधू घोषणा करते हैं कि समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए, वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का सतत प्रयास करते रहेंगे। तथा मानव मानव की बराबरी वाले समाज के विकास एवं समृद्धि में सदा योगदान देते रहेंगे। यदि वर-वधू को विवाह होने का प्रमाण वधू की मांग में सिंदूर भर कर देना चाहेगा, तो वधु को भी वर की मांग में सिंदूर भरना होगा। जिसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। और विवाह रात में नहीं, बल्कि दिन में करना उचित बताया गया। इससे आमजन आर्थिक बोझ से निजात पाता है।

मृतक संस्कार पद्धति को नकार कर, अर्जक पद्धति का पुनर्निर्धारण विकल्प के रूप में करते हैं। शव यात्रा में राम नाम सत्य को नकार कर, जन्म मरण सत्य है, कहते हुए शव के साथ चलना चाहिए। तथागत के अनुसार जन्म सत्य है और मरण भी सत्य है, जो जन्म लेगा वह मरेगा अवश्य। तथागत बुद्ध के संदेश से : भग्यवाद, पुनर्जन्म, अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, आत्मा, परमात्मा, वर्ण और जाति, सारे के सारे ब्राह्मणवादी मूल्य ध्वस्त हो गए।

अपनी सुविधा के अनुसार लोगों को एक तिथि तय करना चाहिए। जिस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जा सके। मृतक के घर परिवार के लोग, निधन के दुख से बहुत आहत होते हैं। इसलिए उनके ऊपर आर्थिक बोझ डालकर और दुःख बढ़ाना नहीं चाहिए। इसलिए जो भी श्रद्धांजलि समारोह में भाग ले, वह मृतक परिवारजनों को आर्थिक मदद के रूप में, पैसा व आवश्यक वस्तु प्रदान करें। जिससे दुखी परिवार पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े।

संस्कृति की चौथा भाग त्योहार है। बहूजनों की कमेरी संस्कृति पर आधारित पर्वों का निर्धारण करते हैं। फसल आने की खुशी और फसल से होने वाले लाभ की खुशी में पर्वों का निर्धारण करते हैं। समतामूलक महापुरुषों के जन्मदिवस पर, स्मृति दिवस की याद में, त्योहारों का पूर्व निर्धारण किया जाता है। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। किसान अपनी लहलहाती फसल देखकर बहुत खुश होते हैं। 1 मार्च को फसल आने की खुशी में उल्लास दिवस का प्रावधान किया गया। 14 अप्रैल को चेतना दिवस, डॉ. अंबेडकर का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुजनों को चेतन करता है। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म दिवस, मानवता दिवस के रूप में मनाना चाहिए। 1 जून को समता दिवस, क्योंकि अर्जक संघ की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त को

भारत अंग्रेजों की भौतिक गुलामी से आजाद हुआ था। 5 सितंबर शहीद दिवस, इसी दिन बहुजन लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिला अरवल, बिहार के कुर्था ब्लॉक पर शहीद हो गए थे। 13 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई बल्लभ भाई का जन्मदिन और 31 अक्टूबर को निर्वाण दिवस होता है। लंदन में विदेशी छात्रों के बीच में बैरिस्टरी टाप करने वाले, सरदार बल्लभभाई पटेल ने अपनी बुद्धि कौशल के बल पर 563 रियासतों को तोड़कर, एक करने का गौरव प्राप्त किया था। 28 नवंबर शक्ति दिवस, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्मदिन। 25 दिसंबर विवेक दिवस, इसी दिन रामास्वामी नायकर यसकायी हुए थे।

राजनीति में भी जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों का ही बोलबाला है। जनतंत्र का आगमन तो हुआ, किंतु पूर्व निर्धारित राजतंत्र में मूल्यों के पुनर्निर्धारण के अभाव में जनतंत्र मुरझा गया है। और राजतंत्र की एक व्यापक कुलीन तंत्र प्रणाली सारे देश की शासन व्यवस्था में छाई हुई है। पिता के बाद पुत्र या पुत्री को गद्दी पर बैठाया जाना उसी परंपरा का हिस्सा है। वर्ण और वर्ग से कुलीन लोग अब सारे शासन और प्रशासन पर छाए हुए हैं। और जनतांत्रिक मूल्यों का विकास खटाई में पड़ गया है। जीवन में इस राजनैतिक मूल्य को फिर से तय करना होगा, तभी क्रांति का नारा लगाने का हमारा हक होगा।

मोहनदास करमचंद गांधी के परम शिष्य डॉ राम मनोहर लोहिया समाजवाद की जो बात करते थे, गांधी का रामराज्य और लोहिया के समाजवाद में कोई अंतर नहीं था। लोहिया रामायण मेला समाजवाद के लिए नहीं, बल्कि रामराज्य के लिए लगवाते थे।

"भारत में अर्जकों की दास्तां शारीरिक नहीं मानसिक है। आज भारत में सभी लोग बिना स्त्री-पुरुष भेदभाव के मताधिकार से लैस हैं। रिजर्व सीटों से जीत कर जो अर्जक आ जाते हैं। वह इतने पक्के दिमागी गुलाम होते हैं, कि सवर्णों को अपना प्रभु मानने में जरा भी नहीं हिचकते। यदि चमारों में दिमागी गुलामी से पिंड छुड़ाने की चेतना जगी। तो यह द्विजातियां पासंग का काम करते हुए, चमार उम्मीदवारों के मुकाबले किसी ऐसी जाति के उम्मीदवार को जिताएंगे। जिस जाति ने दिमागी गुलामी से छूटने के लिए अंगड़ाई तक न ली हो। कहेंगे इस चमार उम्मीदवार से तो, ये भंगी उम्मीदवार अच्छा है। क्योंकि भंगी अब भी जमीन पर बैठता है, पाखाना साफ करता है, अपनी मर्यादा को पकड़े हुए हैं। और चमारों ने तो अपना काम ढोर उठाना आदि सब बंद ही नहीं कर दिया है, वरन वे तो खाट पर बराबर बैठने की ताक में रहने लगे हैं, इन्हें बढ़ाना ठीक नहीं है।"

विश्व में भारत ही शायद एक ऐसा देश है, जहां राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं पर कम, तथाकथित देवी-देवताओं पर अधिक भरोसा करते हैं। नेता जी चुनाव से पूर्व मंदिरों में पूजा-अर्चना करते हैं। यहां तक कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और महायज्ञ तक का आयोजन करते हैं। जबकि सच्चाई यह है, कि वे मतदाताओं के वोट से ही चुनाव जीतते हैं। भगवत्कृपा से जीतने वाले उम्मीदवार अपने क्षेत्र की जनता की एक भी नहीं सुनते हैं।

रामस्वरूप वर्मा का राजनीतिक जीवन डॉ राम मनोहर लोहिया की पार्टी संसोपा से प्रारंभ हुआ। लोहिया निसंदेह एक उत्कृष्ट विद्वान थे, किंतु लोहिया के विद्वता द्विजातियों के लिए थी, भारत के मूलनिवासियों के लिए नहीं। अंततः रामस्वरूप वर्मा ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संसोपा छोड़ 14 जनवरी 1971 को समाज दल नामक नये राजनीतिक दल का गठन किया।

अर्जक संघ का सम्मेलन कानपुर में संपन्न हुआ, उसमें माननीय जगदेव बाबू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। परिणामत: 7 अगस्त 1972 को विधिवत शोषित समाज दल की घोषणा कर दी गई। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री बाबू जगदेव प्रसाद, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाश्रय यादव, सर्वसम्मति से चुने गए। पार्टी की घोषणा इस उद्देश्य से हुई : कि "शोषितों का राज, शोषितों के लिए, शोषितों के द्वारा होगा।

1 से 3 अप्रैल 1978 को दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन विक्रमगंज बिहार में, का प्रस्ताव पारित किया। प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क, और आठवीं तक की शिक्षा अनिवार्य करना राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक समझा गया। शिक्षा राष्ट्रीय विषय हो, और पूरे राष्ट्र में एक ही शिक्षा दी जाए। गरीबों और अमीरों के लिए, दो प्रकार के स्कूल, मांटेसरी और बेसिक का चलाना, राष्ट्र और जनतंत्र के लिए घातक है। अनिवार्य शिक्षा पाने वाले गरीब बच्चों को सस्ता पौष्टिक नाश्ता दिया जाए। जिससे सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाएं, और बच्चों में आपसी लगाओ बढ़े, जिससे जाति-धर्म के अकुर बचपन में ही मुरझा जाएं।

अछूत और सछूत शूद्रों को शासन-प्रशासन में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, संविधान प्रदत्त आरक्षण को, अविलंब लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। देश में प्रदेश के प्रशासन में, एक प्रकार की चयन प्रणाली लागू

करें। जिससे सरकारी नौकरियों में, कम से कम 90% स्थानों में, एससी एसटी ओबीसी एवं इनसे धर्मांतरित अल्पसंख्यक लोग प्रस्थापित हो सकें।

अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के खिलाफ सब लोग यह तर्क देते हैं, कि उनमें काबिलियत नहीं है। तो कोई पद उन्हें कैसे दे दिया जाए। पूरे देश के कल कारखाने बनाने, सड़कें व भवन बनाने, मशीनें बनाने, जैसे मेहनत के काम हम कर सकते हैं। किंतु काबिलियत उनमें है जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। जिस दिन अछूत, पिछड़े, अल्पसंख्यक क्षमता के आधार पर इकट्ठे हो जाएंगे। देश की बागडोर उनके हाथ में होगी और तब सभी अछूत पिछड़े अल्पसंख्यक काबिल बन जाएंगे।

विदेशी शासन काल में भारत अन्न के मामले में स्वावलंबी ही नहीं था, बल्कि विदेशों को निर्यात भी करता था। जब से स्वदेशी शासन आया, तब से कुछ वर्षों को छोड़कर, हम हर वर्ष बाहर से अन्न मंगाते आ रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन कृषि की जमीन उनके पास है, जो अपने हाथ से खेती नहीं करते। और जो खेती कर सकते हैं उनके पास जमीने ही नहीं हैं।

द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन में अछूत और आदिवासियों को, स्वाभिमानी व स्वावलंबी बनाने के लिए, सरकार से यह मांग की जाए, कि अछूत और आदिवासियों को मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार प्रदान करें। सम्मेलन की राय में जिले में सुरक्षित क्षेत्र की संख्या के मुताबिक अछूत और आदिवासियों को, उतने भागों में बांट दिया जाए, जिसमें सुरक्षित क्षेत्र के उम्मीदवारों को, यह अछूत और आदिवासी लोग ही वोट दे सकें। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार चुनाव जीतकर, अपने वर्ग का हित कर सकेंगें। द्विजातियों का दबदबा उन पर से खत्म हो जाएगा। और अपने समाज को स्वावलंबी व स्वाभिमानी बना सकेंगें।

तन की आवश्यकता है : पौष्टिक भोजन, सुरक्षा, शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण, औषधि और मन की आवश्यकता है सम्मान। सम्मान के अभाव में कोई भी मन गतिमान नहीं हो सकता। जैसे एक ब्राम्हण अपनी जाति के नाम पर "शुक्ला भोजनालय" खोलता है। एक बनिया "अग्रवाल मिष्ठान भंडार" खोलता है। एक क्षत्रिय "चौहान जूस सेंटर" खोलता है। इन सभी के यहां ग्राहकों की भीड़ दिखाई देती है। यदि दो अछूत मिलकर अपनी-अपनी जाति के संयुक्त नाम "चूड़ा चमार शुद्ध भोजनालय" खोलते हैं, तो उनके ढाबे पर कोई

ग्राहक दिखाई नहीं देगा। सामाजिक व्यवस्था ने जिन्हें सम्मान दिया, उन्हीं की दुकानें चलती हैं। बहुजन समाज का व्यक्ति अपनी गरीबी का कारण सत्ता में नहीं खोजता। वर्तमान शासन व्यवस्था में नहीं खोजता। बल्कि वह अपनी बेबसी और लाचारी का कारण अपने पिछले जन्म में किए गए कर्मों में खोजता है। शासकों के खिलाफ उसके दिमाग में विद्रोह पैदा नहीं होता। वह गरीबी का कारण अपने भाग्य का फल मान बैठता है, जिसके कारण उसकी गरीबी घटने के बजाय, बढ़ती जाती है।

"पूंजीवाद जनतंत्र के लिए घातक है। इतना ही नहीं, पूंजीवाद से आर्थिक गैर-बराबरी और मजदूरों के शोषण को बढ़ावा मिलता है। भारत में पूंजीवाद से समस्याएं सुलझी नहीं, उलझी हैं। ऐसी स्थिति में पूंजीवाद का विनाश करना, समस्याओं के समाधान और जनतंत्र की रक्षा के लिए नितांत जरूरी है। सच्चे समाज की स्थापना के लिए यह जरूरी है, कि कोई किसी का नौकर न हो। जो लोग हों राष्ट्र के नौकर हों। मालिक नौकर का संबंध रहते सच्चे समाज की स्थापना असंभव है। अतः ऐसे सारे उद्योगों का समाजीकरण एकदम किया जाना चाहिए, जिनमें नौकरों के जरिए काम होता हो। नागरिक अपने ऐसे उद्योग धंधे कर सकते हैं, जिनमें पूरा परिवार लगकर काम करे। या फिर जो कारखाने में करने वाले हों, उन्हें धंधे में समान हिस्सा मिले।

ब्राह्मणवादी शासन द्वारा अछूतों के उत्थान के लिए किए गए, अब तक के सभी प्रयत्न विफल हो गए। उन कारणों को अगर संक्षेप में देखा जाए, तो यह बात उभरकर सामने आती है, कि द्विजों कि सारी दिलचस्पी अछूतों को गुलाम बनाए रखने में है। अछूत तभी तक ब्राह्मणवादी है, जब तक वह अज्ञानी है। यानी जब तक वह स्वावलंबन और स्वाभिमान के महत्व को नहीं समझता, और द्विजों की गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए तैयार नहीं होता।"

(कृपया इसका प्रिंट निकलवाकर पढ़ें और पढ़वाएं)

-: समाप्त :-

सुगत सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था,
लखनऊ (उ.प्र.), दिनांक : 22.08.2020
अभिनेत्री : अनामिका सिंह
लेखक : ए. के. सिंह
मोबाइल : 7355175480